न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – अरविन्द कुमार पोसवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
012/2021 (रसद) (GCMS 2021/218)	21.06.2021	05.07.2022

अनवान

राजस्थान सरकार जरिये हितेश जोशी प्रवर्तन अधिकारी चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

रामचन्द्र माली पिता प्यारा माली निवासी खटीक मोहल्ला, भादसोड़ा, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़

विपक्षी

उपस्थिति :– हितेश जोशी, प्रवर्तन अधिकारी — पैरोकार सरकार
एम.एस. मेड़तियां (अनुपस्थित) — अधिवक्ता विपक्षी

आवेदन अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का विवरण इस प्रकार है कि प्रवर्तन अधिकारी हितेश जोशी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रार्थना अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के तहत पुलिस थाना सदर चित्तौड़गढ़ की प्रथम सूचना रिपोर्ट 130/2021 दिनांक 28.05.2021 में जब्तशुदा सामग्री के निस्तारण बाबत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 28.05.2021 को जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ विनय कुमार शर्मा को सूचना प्राप्त हुई कि अम्बिका होटल के पास जयपुर–उदयपुर हाईवे सरहद बराड़ा चित्तौड़गढ़ पर पेट्रोलियम पदार्थ डिटेन किया हुआ है। इस पर हितेश जोशी, प्रवर्तन अधिकारी, चित्तौड़गढ़ (विधि) मय शिवराम चौधरी, प्रवर्तन निरीक्षक मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचकर डिटेनशुदा पेट्रोलियम पदार्थ एवं घटना की जानकारी देवीलाल सउनि थाना सदर चित्तौड़गढ़ से ली गई। उन्होंने बताया कि डीएसटी टीम चित्तौड़गढ़ द्वारा रामचंद्र माली पिता प्यारा माली निवासी खटीक मोहल्ला, भादसोड़ा, तहसील भदेसर से माल डिटेन कर उन्हें मौके पर डीएसटी टीम के दुर्गासिंह हैडकानि 100 जो मय जाप्ता थे, उनके द्वारा यहा पर बुलाया गया। उन्होंने मौके पर पहुंचकर जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ को दूरभाष पर उक्त घटना की जानकारी दी। मौके पर उपस्थित देवीलाल

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सउनि एवं गवाहों के समक्ष सामग्री के मालिक रामचंद्र माली से पूछताछ कर बयान दर्ज किए गए। जिसने अपने बयान में बताया कि वह हाई–वे पर गुजरने वाले ट्रकों एवं वाहनों से कम कीमत पर डीजल खरीदकर कुछ मुनाफा कमाकर इसे अन्य वाहन चालकों को बेच देता है। इस प्रकार का व्यापार वह पिछले तीन माह से कर रहा है। इसके लिये अम्बिका होटल के पास जयपुर–उदयपुर हाई–वे बराड़ा चित्तौड़गढ़ पर एक लोहे का केविन 700 रूपये प्रतिमाह के हिसाब से नाई जाति के व्यक्ति जिसका मैं नाम नहीं जानता से किराये पर लिया हैं। आज सवेरे जब मैं केबिन में से डीजल के ड्रम भर रहा था, तभी अचानक पुलिस की गाड़ी आई। मुझे यथास्थिति रखने के लिये कहा गया। मौके पर उपस्थित गवाहों एवं देवीलाल सउनि, रामचंद्र माली की मौजूदगी में पिकअप में रखें हुए एवं लोहे की केबिन में रखे हुए व वाहन में रखे हुए पेट्रोलियम पदार्थ डीजल का गेज एवं मापक से मापन किया गया तो लोहे के ड्रम में 200 लीटर नीले रंग के प्लास्टिक ड्रम में 200 लीटर **AMMINS** अंकित प्लास्टिक के नीले ड्रम में 160 लीटर, दो प्लास्टिक के जरीकेनों में 25–25 लीटर, कुल 50 लीटर, दो अन्य प्लास्टिक के जरीकेनों में 35–35 लीटर, कुल 70 लीटर, समस्त पत्रों में भरे हुए कुल डीजल की मात्रा 680 लीटर पाई गई। इसके अलावा पेट्रोलियम पदार्थ डीजल के व्यापार में प्रयुक्त होने वाले उपकरण, दो लोहे के मापक क्रमशः 20, 10 लीटर क्षमता के, एक प्लास्टिक का सफेद रंग का बड़ा कीप, एक सार्प हाइड्रो आधा एचपी की इलेक्ट्रीक मोटर जिसके दोनो सिरों पर प्लास्टिक पाईप लगा हुआ हैं। उक्त वर्णित मापन किये हुए डीजल एवं अन्य सामग्री के बारे में रामचंद्र माली से पूछताछ करने पर पेट्रोलियम पदार्थ के भण्डारण क्रय–विक्रय परिवहन हेतु दस्तावेज मांगने पर किसी प्रकार का दस्तावेज नहीं होना स्वीकार किया गया। इस पर विभिन्न पात्रों में भरे हुए 680 लीटर डीजल मय पात्र सहित सार्प हाईड्रो आधा एचपी इलेक्ट्रीक मोटर दो माकप लोहे के 20 व 10 लीटर क्षमता के, एक प्लास्टिक का सफेद रंग का बड़ा कीप विपक्षी से अभिग्रहीत किये गये। अभिग्रहीत 680 लीटर डीजल के नियमानुसार ए–1, ए–2, ए–3 कांच की स्वच्छ बोतलों में 750 मिली. मात्रा के तीन नमूने लिये गये। मौके पर ही उक्त नमूनों को सील चस्पा कर गवाहों एवं रामचंद्र माली आदि के हस्ताक्षर करवाये गये। फर्द नमूना तैयार कर संलग्न किया गया। इस प्रकार मौके पर अभिग्रहीत 680 लीटर डीजल मय पत्र के सदर थाना चित्तौड़गढ़ की सुपुर्दगी में दिया गया। नमूना ए–2, ए–3 अभिरक्ष हेतु जिला रसद कार्यालय में जमा करने हेतु साथ लिया गया। रामचंद्र माली का उक्त कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 व 8 तथा ई.सी. एक्त की धारा 3 के तहत जारी आदेश का स्पष्ट उल्लंघन है, जो दंडनीय हैं। अंत में प्रार्थना की गई कि जब्तशुदा 680 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ (डीजल), कीप, दो लोहे के मानक 20 लीटर व 10 लीटर क्षमता के, एक आधा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

एचपी की इलेक्ट्रोनिक मोटर जिस पर शार्प हाइड्रों लिखा हुआ है को राजसात कराने की कृपा करावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र जारी किये गये। दिनांक 27.07.2021 को विपक्षी की ओर से अधिवक्ता एमएस मेड़तिया हाजिर आये एवं अधिकार पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली है। दिनांक 04.05.2022 दिनांक 07.06.2022 को अधिवक्ता विपक्षी अपुस्थित रहे। दिनांक 05.07.2022 को भी अधिवक्ता विपक्षी अनुपस्थित रहे। इस पर हाजिर पैरोकार सरकार द्वारा विपक्षीगण को सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने पश्चात् भी विपक्षी की और से किसी भी प्रकार से कोई जवाब अथवा लिखित अभिवचन प्रस्तुत नहीं होने से प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित किये जाने बाबत् ईश्तदुआ की गई। इस प्रकार हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। मनन किया। विपक्षी स्वयं हाजिर नहीं आये एवं ना विपक्षी की और से किसी भी प्रकार से कोई लिखित अभिवचन प्रस्तुत नहीं हुआ है ऐसी स्थिति में विपक्षी का जवाब बंद किये जाने का आदेश दिया जाता है।

हाजिर पैरोकार सरकार द्वारा बहस पत्रावली का निवेदन किया। इस पर हाजिर पैरोकार सरकार द्वारा की गई बहस पत्रावली को एक–तरफा सुना गया। पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि विपक्षी द्वारा अवैध रूप से बाहरी राज्यों से पेट्रोलियम पदार्थ यहां लाकर अन्य टैंकरों में निकाल कर खरीद फरोक्त का धन्धा करना तथा पेट्रोलियम पदार्थ का अवैध परिवहन एवं भण्डारण करने के साथ ही अवैध तरीके से विक्रय करना, पेट्रोलियम पदार्थ भरने तथा खाली करने के उपकरणों को अवैध तरीके से रखने का किया गया कृत्य पेट्रोलियम पदार्थ की अवैध रूप से कालाबाजारी करने से संबंधित होने एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध होने से जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ को राजसात करने का आदेश फरमाया जावे। इसी ईश्तदुआ के साथ पैरोकार सरकार ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। हमने पत्रावली का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। पैरोकार सरकार द्वारा की गई बहस एकतरफा पर चिंतन–मनन किया। पत्रावली को वास्ते निर्णय रिजर्व किया गया।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का आद्यौपांत गहनता पूर्वक अवलोकन किया। बहस एक–तरफा पर चिंतन–मनन किया। विपक्षी की और से पत्रावली पर आवेदन का किसी भी प्रकार से खण्डन उपलब्ध नहीं है। विपक्षी द्वारा पेट्रोलियम पदार्थ अपने पास रख भण्डारण करने, विक्रय करने तथा परिवहन करने संबंधी कोई वैध दस्तावेज व लाईसेंस नहीं होना पाया गया है। हमने पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। पैरोकार सरकार द्वारा की गई बहस पत्रावली का चिंतन–मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण में पत्रावली पर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपलब्ध दस्तावेजात एवं साक्ष्य के आधार पर विपक्षी द्वारा बाहर से अवैध रूप से टैंकरों में पेट्रोलियम पदार्थ भरकर लाना तथा अवैध तरीके से अपने कब्जे में रखना, विक्रय करना, पेट्रोलियम पदार्थ का अवैध परिवहन, भण्डारण तथा उनकी कालाबाजारी करना प्रमाणित/सिद्ध पाया जाने से जब्तशुदा 680 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ (डीजल), कीप, दो लोहे के मानक 20 लीटर व 10 लीटर क्षमता के, एक आधा एचपी की इलेक्ट्रोनिक मोटर (जिस पर शार्प हाइड्रों लिखा हुआ है) को राजसात किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं पुलिस थाना सदर चित्तौड़गढ़ में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट 130/2021 दिनांक 28.05.2021 में दिनांक 28.05.2021 को जब्तशुदा 680 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ (डीजल), कीप, दो लोहे के मानक 20 लीटर व 10 लीटर क्षमता के, एक आधा एचपी की इलेक्ट्रोनिक मोटर (जिस पर शार्प हाइड्रों लिखा हुआ है) को राजसात करने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ उक्त जब्तशुदा 680 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ (डीजल), कीप, दो लोहे के मानक 20 लीटर व 10 लीटर क्षमता के, एक आधा एचपी की इलेक्ट्रोनिक मोटर (जिस पर शार्प हाइड्रों लिखा हुआ है) को थानाधिकारी, पुलिस थाना सदर, चित्तौड़गढ़ से प्राप्त कर, नियमानुसार निस्तारण कर, प्राप्त आय राजकोष में जमा करा, पालना से अवगत करावें। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ एवं पुलिस थानाधिकारी सदर, चित्तौड़गढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **05.07.2022** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

-S/D-
(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़